राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी—श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या— 70/2022
जी0सी0एम0एस0 संख्या— 2022/121
दायर दिनांक— 31.08.2022
निर्णय दिनांक— 29.03.2023

1. हरजीराम पुत्र रतनलाल जाति रेगर, निवासी ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगढ

.....वादी

बनाम

1. कालू पुत्र जगन्नाथ
2. कंचन पुत्री हनुमान
3. कमला देवी पत्नि भंवरलाल
4. कोगजी उर्फ श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ
5. जीवण पुत्र भंवरलाल
6. नाथू पुत्र श्रवण
7. पप्पूड़ी पुत्री मांगू
8. बबलूराम पुत्र भंवरलाल
9. मुक्ती पुत्र जगन्नाथ
10. मनोहर पुत्र हनुमान
11. रूकमा पुत्री हनुमान
12. रामकरण पुत्र हनुमान
13. सुगनी पुत्री मांगू
14. सुवा पुत्र हनुमान
15. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल
 सर्वजाति रेगर, सर्वनिवासी ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
16. तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
17. उपपंजीयक रूपनगढ़ जिला अजमेर

......प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—:1. अरविन्द कुमार दाधिच अधि0 वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

—:निर्णय:—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम पींगलोद पटवार हल्का पींगलोद भू—अ0नि0 क्षेत्र करकेड़ी तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या 72 के ख0न0 252 रकबा 2.5968 है0, ख0न0 458/252 रकबा 0.2427 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.8395 है0 है जिसमें वादी का 1/5 हिस्सा निहित है। वाद वर्णित ख0न0 252, ख0न0 458/252 का अर्से दराज से मौखिक रूप से विभाजन हो रखा है। उस अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 ने अपने कब्जे काश्त की भूमि के चारों ओर मिट्टी की खन्दक लगा रखी है। वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी की कृषि भूमि का विधिअनुसार विभाजन नहीं हुआ है। वादी के खसरा नम्बर 252, 458/252 में वादी के मकानात आदि बने हुये है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 मौके पर अपने —अपने कब्जे काश्त अनुसार काश्त करते चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

वादी की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि की बुवाई, जुताई, बिजाई, निराई, गुडाई, जोत करने व बाड़ लगाने, खन्दक लगाने, कांटे लगाने तथा पत्थर के कतावले लगा कर सीमा चिन्ह बनाने तारबन्दी करने में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 रूकावट व बाधा उत्पन्न करते है जो अनवरत जारी है। पूर्व विक्रेतागण एवं वादी के मध्य मौखिक बंटवारे के कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 तक मौके पर अपने अपने कब्जे के अनुसार काश्त करते चले आ रहे है तथा विक्रय पत्र के बाद वादी भी उसी मौखिक बंटवारे के अनुसार ही वादी भी काबिज काश्त है। इस भूमि पर वादी का मकान स्थित है एवं इसी भूमि पर वादी ने बोरिंग भी करवा रखी है, जिसका उपयोग वादी अपने खेत के सिंचाई कार्यो में करता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है इसलिए वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी संख्या 16 भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 17 उपपंजीयक अधिकारी होने के कारण वाद पत्र में पक्षकार संयोजित किया गया है ताकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के पक्ष में किसी प्रकार का रहन, बख्शीश, अन्तरण, हस्तान्तरण का पंजीयन ना करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वकील वादी की ओर से धारा 53 लिखने में चूक रही, जिसमें संसोधन बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। तदनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की धारा 188 के साथ धारा 53 जोड़ने की स्वीकृति दी गयी। प्रतिवादी संख्या 16 (तहसीलदार रूपनगढ़) का जवाब प्राप्त नही, जवाब बन्द किया गया। वकील वादी की बहस उपरान्त प्रकरण में तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्राथमिक डिक्री की गई जिस पर तहसीलदार रूपनगढ़ से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान को सुना गया। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी व पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की बहस सुनी गयी। हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन, किया एवं बहस पर मनन किया। अतः मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद अंतिम डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 15 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के हिस्से में बंटवारे के बाद आयी आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करे,, वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित नहीं करे तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से में वाद भूमि निम्नानुसार होगी :–

क0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म	विभाजन प्रस्ताव में दर्शित रंग
1	हरजीराम पुत्र रतनलाल जाति रेगर सा0देह खातेदार राहिन बीआरकेजीबी शाखा कुचील	252/2	0.5047	बा. 3	हरा
2	कंचन पुत्री हनुमान हि0 1009/20193, कमला देवी पत्नि भंवरलाल हि0 841/20193, कालू पुत्र जगन्नाथ हि0 1683/20193, कोगजी उर्फ श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ हि0 1683/20193, जीवण पुत्र भंवरलाल हि0 841/20193 नाथू पुत्र श्रवण हि0 5053/20193, पप्पूड़ी पुत्री मांगू हि0 841/20193, बबलूराम पुत्र भंवरलाल हि0 841/20193, मुक्ती पुत्र जगन्नाथ हि0 1683/20193 राहिन बीआरकेजीबी शाखा कुचील , मनोहर पुत्र हनुमन हि0 1009/20193, रूकमा पुत्री हनुमान हि0 1009/20193, रामकरण पुत्र हनुमान हि0 1009/20193, सुगनी पुत्री मांगू हि0 841/20193, सुवा पुत्र हनुमान हि0 1009/20193, सोहनलाल पुत्र भंवरलाल हि0 841/20193 सर्वजाति रेगर सा0 देह खातेदार।	252/3	2.0193	बा.3 1.5744 बा. ए 0.4449	नारंगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

29.3.22
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

3	कंचन पुत्री हनुमान हि0 1/25, कमला देवी पत्नि भंवरलाल हि0 1/30, कालू पुत्र जगन्नाथ हि0 1/15, कोगजी उर्फ श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ हि0 1/15, जीवण पुत्र भंवरलाल हि0 1/30, नाथू पुत्र श्रवण हि0 1/5, पप्पूड़ी पुत्री मांगू हि0 1/30, बबलूराम पुत्र भंवरलाल हि0 1/30, मुक्ती पुत्र जगन्नाथ हि0 1/15 राहिन बीआरकेजीबी शाखा कुचील , मनोहर पुत्र हनुमान हि0 1/25, रूकमा पुत्री हनुमान हि0 1/25, रामकरण पुत्र हनुमान हि0 1/25, सुगनी पुत्री मांगू हि0 1/30, सुवा पुत्र हनुमान हि0 1/25, सोहनलाल पुत्र भंवरलाल हि0 1/30, हरजीराम पुत्र रतनलाल हि0 1/5 राहिन हरजीराम का हि0 बीआरकेजीबी शाखा कुचील सर्वजाति रेगर सा0 देह खातेदार।	252/1 458/252	0.0728 0.2427	बा. 3(रास्ता) बा. 3	भूरा
		कुल किता –2	कुल रकबा– 0.3155		

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस इस अंतिम डिक्री का भाग होगा। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

29.03.2023

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

<u>अज अदालत व इजलास उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)</u>

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 70/22

उनवान

1. हरजीराम पुत्र रतनलाल जाति रेगर, निवासी ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगढ

.....वादी

<u>बनाम</u>

1. कालू पुत्र जगन्नाथ
2. कंचन पुत्री हनुमान
3. कमला देवी पत्नि भंवरलाल
4. कोगजी उर्फ श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ
5. जीवण पुत्र भंवरलाल
6. नाथू पुत्र श्रवण
7. पप्पूड़ी पुत्री मांगू
8. बबलूराम पुत्र भंवरलाल
9. मुक्ती पुत्र जगन्नाथ
10. मनोहर पुत्र हनुमान
11. रूकमा पुत्री हनुमान
12. रामकरण पुत्र हनुमान
13. सुगनी पुत्री मांगू
14. सुवा पुत्र हनुमान
15. सोहनलाल पुत्र भंवरलाल
    सर्वजाति रेगर, सर्वनिवासी ग्राम पींगलोद तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर
16. तहसीलदार रूपनगढ जिला अजमेर
17. उपपंजीयक रूपनगढ़ जिला अजमेर

.......प्रतिवादीगण

<u>वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधि0 1955</u>

यह वाद जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दाअलेह के समक्ष वकील श्री अरविन्द कुमार दाधीच की उपस्थिति में निर्णय हेतु पेश हो कर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अंतिम डिक्री किया जाता है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान के हिस्से के वाद भूमि का निम्नानुसार अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

29.3.23
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म	विभाजन प्रस्ताव में दर्शित रंग
1	हरजीराम पुत्र रतनलाल जाति रेगर सा0देह खातेदार राहिन बीआरकेजीवी शाखा कुचील	252/2	0.5047	वा. 3	हरा
2	कंचन पुत्री हनुमान हि0 1009/20193, कमला देवी पत्नि भंवरलाल हि0 841/20193, कालू पुत्र जगन्नाथ हि0 1683/20193, कोगजी उर्फ श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ हि0 1683/20193, जीवण पुत्र भंवरलाल हि0 841/20193 नाथू पुत्र श्रवण हि0 5053/20193, पप्पूड़ी पुत्री मांगू हि0 841/20193, बबलूराम पुत्र भंवरलाल हि0 841/20193, मुक्ती पुत्र जगन्नाथ हि0 1683/20193 राहिन बीआरकेजीवी शाखा कुचील , मनोहर पुत्र हनुमन हि0 1009/20193, रूकमा पुत्री हनुमान हि0 1009/20193, रामकरण पुत्र हनुमान हि0 1009/20193, सुगनी पुत्री मांगू हि0 841/20193, सुवा पुत्र हनुमान हि0 1009/20193, सोहनलाल पुत्र भंवरलाल हि0 841/20193 सर्वजाति रेगर सा0 देह खातेदार।	252/3	2.0193	वा.3 1.5744 वा. ए 0.4449	नारंगी
3	कंचन पुत्री हनुमान हि0 1/25, कमला देवी पत्नि भंवरलाल हि0 1/30, कालू पुत्र जगन्नाथ हि0 1/15, कोगजी उर्फ श्योनारायण पुत्र जगन्नाथ हि0 1/15, जीवण पुत्र भंवरलाल हि0 1/30, नाथू पुत्र श्रवण हि0 1/5, पप्पूड़ी पुत्री मांगू हि0 1/30, बबलूराम पुत्र भंवरलाल हि0 1/30, मुक्ती पुत्र जगन्नाथ हि0 1/15 राहिन बीआरकेजीबी शाखा कुचील , मनोहर पुत्र हनुमान हि0 1/25, रूकमा पुत्री हनुमान हि0 1/25, रामकरण पुत्र हनुमान हि0 1/25, सुगनी पुत्री मांगू हि0 1/30, सुवा पुत्र हनुमान हि0 1/25, सोहनलाल पुत्र भंवरलाल हि0 1/30, हरजीराम पुत्र रतनलाल हि0 1/5 राहिन हरजीराम का हि0 बीआरकेजीबी शाखा कुचील सर्वजाति रेगर सा0 देह खातेदार।	252/1 458/252	0.0728 0.2427	बा. 3(रास्ता) बा. 3	भूरा
		कुल किता –2	कुल रकबा–0.3155		

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन बैंक पक्षकारान के नाम यथावत रखा जाकर उपरोक्तानुसार उनका खाता व लगान अलग–अलग कायम किया जाकर कृषि भूमि उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। खर्चा वाद उभयपक्ष अपना–अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.02 14:16:00 IST
Reason: SelfAttested

29-03-2023

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
~~सहायक कलेक्टर एवं~~ उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)